223

17

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट

जयपुर दिनांक: 13 JUL 2009

परिपत्र

विषयः– राजस्थान में निजी आवासीय योजनाओं/कालोनी/टाउनशिप/अन्य प्रकार की योजनाएं विकसित करने के संबंध में बाहरी विकास कार्य।

इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना प.10(1)नविवि/3/02 दिनांक 01.1.02 के पार्ट–डी के बिन्दु संख्या 9 के अन्तर्गत बाह्य विकास शुल्क जमा कराने हेतु निर्देश जारी किये गये थे तथा परिपत्र प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 08.05.09 द्वारा पुनः दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, किन्तु फिर भी बाह्य विकास शुल्क के पेटे जमा कराई गई राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाये, कतिपय निकायों के स्तर पर इस संबंध में संशय की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. जिन योजनाओं में लिंक सड़क पूर्व में मौजूद है, उनके संबंध में बाह्य विकास शुल्क के पेटे जमा राशि का 10% (दस प्रतिशत) भाग नगरीय निकाय द्वारा पूर्व में किये गये विकास कार्यो के पेटे अपने खाते में जमा रखकर शेष 90% (नब्बे प्रतिशत) भाग विद्युतिकरण, जल वितरण व्यवस्था, सिवरेज व्यवस्था हेतु संबंधित विभागों को उनके द्वारा प्रेषित तखमीने के अनुसार हस्तान्तरित किया जावें। उक्त राशि का हस्तान्तरण विकासकर्ता की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए किया जावें।
2. बाह्य विकास राशि का उपर्युक्तानुसार हस्तांतरण अन्य विभागों को विकास कार्य करवाने हेतु उन योजनाओ के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर किया जावे जिनमें विकासकर्ता द्वारा संबंधित विभाग के मापदण्ड के अनुरूप कोई तीन आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करा दी गई हो यथा आवागमन योग्य सड़क, सिवरेज व्यवस्था अथवा सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट विद्युत एवं जल वितरण व्यवस्था।
3. बाह्य विकास शुल्क अनुमोदित ले–आउट मानचित्र जारी होने की तिथि से आंकी जावेगी तथा किश्तें इस तिथि के पश्चात देय होगी।
4. बाह्य विकास शुल्क योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर देय होगा।

उपरोक्त दिशा–निर्देश इस विभाग की अधिसूचना प.10(1)नविवि/3/02 दिनांक 01.01.02 व परिपत्र प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 08.05.09 की निरन्तरता में जारी किये जा रहे है, इनकी पालना सुनिश्चित की जावें। बाह्य विकास कार्य त्वरित गति से शुरू किये जावें ताकि इन योजनाओं/कॉलोनी के भूखण्डधारियों को आधारभूत जन सुविधाऐं शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध हो सके एवं नियोजित विकास की अवधारणा को बल प्राप्त हो सके।

(गुरदयाल सिंह संधू)
प्रमुख शासन सचिव

Brij Tower Letter